न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **53/22 (वाद)**

GCMS No. : 2022/122

1. श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती मगुड़ी पत्नी लखा डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
2. श्री भेरूलाल पिता स्व0 रामलाल डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री नारायण पिता स्व0 रामलाल डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती हीराबाई पत्नी स्व0 रामलाल डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली जिला उदयपुर राज0।
7. पटवारी, पटवार हल्का नामरी तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 23.01.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घणोली, पटवार क्षेत्र नामरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की आराजी नम्बर 1575 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नं. 1542, 1548, 1549, 1550, 1554, 1555, 1556, 1571, 1572, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 किता 14 कुल रकबा 0.6312 हैक्टर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/16 हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1543, 1547 किता 2 कुल रकबा 0.3643 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सानुसार दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1569 रकबा 0.0243

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है।

2. यह कि सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष रूपाजी थे जिनके तीन पुत्र उदा उर्फ उदयलाल, रामा उर्फ रामलाल, नारू एवं एक पुत्री मोवनी हुई। रामा उर्फ रामलाल का स्वर्गवास को हो चुका है जिसके वारिस पुत्र भेरूलाल, नारायण एवं पत्नी हीराबाई है। नारू लाऔलाद फौत हो चुका है एवं उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 जो नारू देहान्त पश्चात् ही अन्यत्र नाते चली गई।

3. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कोई हक अधिकार नही रहा है, न ही वर्तमान में कोई हक अधिकार हैं। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 जो मुझ वादी के भाई श्री नारू की पत्नी थी लेकिन वो कभी भी मेरे भाई के पास दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के लिये नही आई और मुझ वादी के भाई श्री नारू के मरणोपरान्त श्री लखा जी डांगी निवासी ओडवाडिया के यहां नाते चली गई थी जिससे भाई नारू की सेवा चाकरी, भरण पोषण मुझ वादी एवं मेरे भाई रामा द्वारा किया गया तथा नारू के निधन के बाद भी उनके सभी सामाजिक दायित्वों का निवर्हन भी हमारे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इसके साथ नारू के हिस्से की कुलिया जायदाद के 1/2 हिस्से पर मैं वादी एवं 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता/पति काबिज हो उपयोग उपभोग करते आये तथा वर्तमान में मैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अपने–अपने हिस्सेनुसार नारू के हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा दिनांक 02.07.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं ने हमारे पक्ष में स्टाम्प कीमती 100/– एक सौ रूपया पर इस आशय की लिखापढ़ी करवा दी कि ष्मेरे पूर्व पति स्व० श्री नारूलाल पिता रूपाजी डांगी नि० मन्देसर की मृत्यु करीब 17 वर्ष पूर्व हुई थी उसके बाद मैने दुसरी शादी ओडवाडीया निवासी लाखाजी से करीब 12 वर्ष पूर्व कर ली थी तथा मेरे पूर्व पति की सभी जायदाद जो मेरे पूर्व पति व ससुरजी के नाम थी जिसका मेरा कोई लेना देना नही है। मेरे पूर्व ससुर जी स्व० श्री रूपाजी निवासी मन्देसर कि मृत्यु के बाद उनके नाम की जमीन जो कि घणोली तह०मावली एवं मन्देसर तहसील वल्लभनगर में है जो अन्तकाल खुलने पर चोथा हिस्से मेरे नाम चढ गया [illegible] मेरा कोई अधिकार नहीं है तथा उसका हक आधा आधा रामलाल व उदयलाल का है। इस प्रकार उक्त नारू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

की जायदाद में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही रहा था। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के अन्यत्र नाते जाने के बावजूद एवं उसका यहां कोई हक अधिकार शेष नहीं रहने के उपरान्त भी नारू की मृत्यु पश्चात् राजस्व अधिकारीयों से बिना किसी आदेश के मनमर्जी से कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में जरिए विरासत प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित कर दिया जो हमारे मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य निष्प्रभावी है। क्योंकि मौके पर नारू के जीवनकाल में एवं नारू के लाऔलाद फौत होने के बाद आज तक भी नारू की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर मैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 निकटतम विधिक वारिसान होने से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और प्रतिवादी संख्या 1 कभी कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग उक्त भूमि पर नही रहा है और न ही वर्तमान में है। लेकिन वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से भूदलाल षडयन्त्र रचकर तथाकथित नाम के फर्जी लोगों को खड़ा कर या प्रतिवादी संख्या 1 को उकसा कर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर नाजायज लाभ प्राप्त करने की निरन्तर कोशिश कर रहे है और हमको नुकसान पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 भी उक्त भूमि हमारे नाम पर करवाने हेतु कहे जाने के बावजूद भी निरन्तर टालम टोली कर रही हैं। जबकि इसको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिये मैं वादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को हमारे नाम खातेदारी हक से घोषित करा राजस्व में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ इसीलिये माननीय न्यायालय आपमें यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार कभी नही रहा है और न ही वर्तमान में है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 जो नारू की पत्नी थी जिसने अन्यत्र नाता विवाह कर लिया एवं नारू लाऔलाद फौत हुआ है जिसके मैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 निकटतम विधिक वारिसान होकर उसकी सेवा चाकरी, भरण पोषण इत्यादि सभी कार्य हमने व हमारे मौरूसान द्वारा ही किये गये और नारू की कुलिया जमीन पर अनवरत रूप से आज तक काबिज चले आ रहे है। फिर भी रेवेन्यु अधिकारियों ने मनमाफिक ढंग से बि[illegible] आदेश एवं अधिकार के नारू के मरने के बाद प्रतिवादी [illegible] 1 का [illegible] विरासत के आधार पर दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

दिया। जबकि इस भूमि पर हमारे मौरूस एवं हमारा करीबन 40 वर्षों से अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर भी धारा 63(1). (4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत हम इसके खातेदार काश्तकार हो गये है।

5. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मामला हैं। क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है और स्वर्गीय नारू के हिस्सा भूमि पर हम व हमारे पूर्वज गत 40 वर्षों से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और उक्त भूमि के किसी भी भू भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कोई हक अधिकार नही रहा है. न ही वर्तमान में हैं। लेकिन वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड में नारू के हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से भूमाफिया प्रतिवादी संख्या 1 को उकसा कर उक्त जमीन को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है और प्रतिवादी संख्या 1 भी उक्त जमीन हमारे नाम पर करवाने में टालम टोली कर रही हैं और हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रही है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृ षि भूमि में अपने नाम अंकित हक हिस्से को अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, मुझ वादी को अपने कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण बाबत् पेश करे तो पंजीयन/नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करे, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी भारी क्षति होगी उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

6. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 04.01.2022 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उसके नाम दर्ज भूमि को हमारे नाम पर करवाने की बात [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने टालम टोली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

कर कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया एवं हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा वादी को एवं 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर प्रविवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर हमारे खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराये जावे। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में वादी को अपने हिस्से कब्जे की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादी को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, नुकसान नही पहुंचावे, वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण बाबत् पेश करे तो प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ताफैसला मूल वाद पंजीयन/नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करे, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अन्य दादरसी वादी कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी हो वह प्रदान कराई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गय। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदावा पेश नही करना चाहा। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने तथा जवाब पेश नही करने से तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत वादी स्वयं का मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज ग्राम घणोली की नकल जमाबंदी संवत 2077—8[illegible]ता संख्या 102, 302, 495, 101

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श 1 से 4, 100 रूपये के स्टाम्प लिखतम दिनांक 02.07.2002 प्रदर्श 5 तथा इसकी फोटोप्रति प्रति प्रदर्श 5 ए करवाए गए।

9. अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील डबोक जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 102 पर दर्ज आराजी नम्बर 1575 रकबा 0.0243 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मगुड़ी पत्नी नारू के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 302 पर दर्ज आराजी नम्बर 1542, 1548, 1549, 1550, 1554, 1555, 1556, 1571, 1572, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 किता 14 कुल रकबा 0.6312 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम 1/16 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 495 पर दर्ज आराजी नम्बर 1543, 1547 किता 2 कुल रकबा 0.3643 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 101 पर दर्ज आराजी नम्बर 1569 रकबा 0.0243 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम 1/48 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पति नारू से प्राप्त हुई। उसके प्रतिवादी संख्या 1 श्री लखा डांगी निवासी ओडवाडिया के नाते चली गई। परन्तु विरासत के नामान्तकरण से पूर्व पति की सम्पति में प्रतिवादी संख्या 1 नाम अंकित हो गया। प्रदर्श 5 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मगुबाई पत्नी लखा द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना कोई हक हिस्सा निहित नही माना है। प्रदर्श 5 में यह भी अंकित है कि मेरे नाम घणोली त मावली व मन्देशर तह. वल्लभनगर की भूमि में चौथा हिस्सा अंकित हो गया है उसमें मेरा कोई अधिकार नही है तथा उसका हक आधा आधा रामलाल व उदयलाल पिता रूपाजी का है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं ही वादग्रस्त भूमि में अपना कोई हक हिस्सा नही मानती है। नारू के भाई उदा उर्फ उदयलाल तथा रामा उर्फ राम[illegible] हक हिस्सा मानती है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 कोई [illegible] एतराज [illegible] तो न्यायालय में उपस्थित होती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purodia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

ना ही वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कब्जा रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचक नामावली में भी प्रतिवादी संख्या 1 के पति का नाम लखा ही अंकित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर ना ही प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। प्रदर्श 5 अनुसार ना ही प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में अपना कोई हक हिस्सा मानती है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुए हिस्से को भी वादी एवं वादी के भाई का आधा आधा हिस्सा मानती है। उसके पश्चात भी राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज कर भूल की गई है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील डबोक जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–2080 के खाता संख्या 102 पर दर्ज आराजी नम्बर 1575 रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, के बजाय मगुडी के हिस्से में से वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 302 पर दर्ज आराजी नम्बर 1542, 1548, 1549, 1550, 1554, 1555, 1556, 1571, 1572, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 किता 14 कुल रकबा 0.6312 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम 1/16 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/32 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 495 पर दर्ज आराजी नम्बर 1543, 1547 किता 2 कुल रकबा 0.3643 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 101 पर दर्ज आराजी नम्बर 1569 रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुडी पत्नी नारू के नाम 1/48 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/96 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/96 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती मगुड़ी पत्नी लखा डांगी निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।
2. श्री भेरूलाल पिता स्व0 रामलाल डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री नारायण पिता स्व0 रामलाल डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती हीराबाई पत्नी स्व0 रामलाल डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली जिला उदयपुर राज0।
7. पटवारी, पटवार हल्का नामरी तहसील मावली जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1)(4) राज.काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 53/22 (वाद) GCMS No. – 2022/122

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील डबोक जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–2080 के खाता संख्या 102 पर दर्ज आराजी नम्बर 1575 रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, के बजाय मगुडी के हिस्से में से वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 302 पर दर्ज आराजी नम्बर 1542, 1548, 1549, 1550, 1554, 1555, 1556, 1571, 1572, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested

किता 14 कुल रकबा 0.6312 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम 1/16 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/32 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 495 पर दर्ज आराजी नम्बर 1543, 1547 किता 2 कुल रकबा 0.3643 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुड़ी पत्नी नारू के नाम 1/4 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 101 पर दर्ज आराजी नम्बर 1569 रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मगुडी पत्नी नारू के नाम 1/48 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी श्री उदयलाल पिता रूपा डांगी को 1/96 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भेरूलाल पिता रामलाल, नारायण पिता रामलाल, हीराबाई पत्नी रामलाल को संयुक्त रूप से 1/96 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:17 IST
Reason: SelfAttested